IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

पंचायती राज में 73वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं की स्थिति

Author : Poonam katariya ,Research Scholar Department of Political Science Shri Khushal Das University ,Hanumangarh (Raj.)

Abstract: 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे में एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध हुआ। इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा ग्रामीण शासन में जनभागीदारी को सशक्त बनाया गया। इस संशोधन का सबसे महत्त्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक स्थिति पर पड़ा। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देकर उन्हें निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करने का संवैधानिक अवसर मिला, जिससे ग्रामीण समाज में उनके सशक्तिकरण की नई राह खुली। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदकृतीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप देशभर में लाखों महिलाएँ पहली बार निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में सामने आईं। इससे न केवल महिलाओं की संख्या राजनीतिक संस्थाओं में बढ़ी, बल्कि उनकी सामाजिक पहचान और आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण विकास की प्राथमिकताओं को अधिक मानवीय और समावेशी बनाया। स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, शिक्षा, पोषण, महिला एवं बाल कल्याण जैसे मुद्दों को पंचायतों के एजेंडे में प्रमुख स्थान मिला। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि महिला प्रतिनिधियों ने स्थानीय आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझा और सामाजिक विकास से जुड़े कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Keyword: पंचायती राज, 73वाँ संविधान संशोधन, महिला सशक्तिकरण, आरक्षण, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, राजनीतिक भागीदारी, नेतृत्व, निर्णय–निर्माण, लैंगिक समानता, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, स्वशासन, सरपंच, महिला प्रतिनिधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आत्मनिर्भरता, जागरूकता, प्रशिक्षण, लोकतंत्र, समावेशन, अधिकार, शासन, सामाजिक परिवर्तन, ग्रामीण महिलाएँ, प्रतिनिधित्व, सशक्त नेतृत्व, नीति निर्माण, स्थानीय शासन, विकास योजनाएँ, समान अवसर

Article : पंचायती राज में 73वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं की स्थिति

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ लोकतंत्र की जड़ें केवल संसद और विधानसभाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्राम स्तर तक फैली हुई हैं। स्वतंत्रता के बाद यह महसूस किया गया कि जब तक ग्रामीण जनता को सीधे शासन प्रक्रिया से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक लोकतंत्र सशक्त नहीं हो सकता। इसी सोच के परिणामस्वरूप पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 73वाँ संविधान

संशोधन अधिनियम, 1992 लागू किया गया। यह संशोधन न केवल स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक आधार प्रदान करता है, बल्कि महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ।

73वें संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में पंचायत व्यवस्था को लेकर कई प्रयास किए गए, जैसे बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति की सिफारिशें। परंतु पंचायतों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी और वे राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर थीं। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संविधान के भाग–9 में शामिल किया गया तथा उन्हें स्थायित्व, संरचना और अधिकार प्रदान किए गए। इसमें नियमित चुनाव, वित्तीय संसाधन, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और सामाजिक न्याय पर विशेष बल दिया गया।

महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान

73वें संविधान संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इस संशोधन के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदकृतीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गईं। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी समान अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। बाद में कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया, जिससे महिलाओं की भागीदारी और भी व्यापक हुई।

राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि

इस संवैधानिक व्यवस्था के परिणामस्वरूप देशभर में लाखों महिलाएँ पहली बार राजनीति में प्रवेश कर सकीं। वे सरपंच, पंचायत सदस्य, प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष जैसे पदों पर निर्वाचित हुईं। यह केवल संख्या में वृद्धि नहीं थी, बल्कि महिलाओं की सामाजिक पहचान और आत्मविश्वास में भी उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला। जो महिलाएँ पहले घर की चारदीवारी तक सीमित थीं, वे अब सार्वजनिक मंचों पर बोलने, निर्णय लेने और नेतृत्व करने लगीं।

सामाजिक स्थिति में परिवर्तन

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण समाज में उनकी स्थिति को मजबूत किया। महिलाओं को अब केवल परिवार तक सीमित न मानकर समाज और शासन का सक्रिय अंग समझा जाने लगा। इससे बाल विवाह, घरेलू हिंसा, शराबबंदी, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा होने लगी। कई पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों ने शराबबंदी, शौचालय निर्माण, पोषण आहार और विद्यालयों की स्थिति सुधारने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए।

विकास की प्राथमिकताओं में बदलाव

महिला प्रतिनिधियों के आने से पंचायतों की विकास प्राथमिकताओं में भी बदलाव आया। जहाँ पहले सड़कों या भवन निर्माण तक योजनाएँ सीमित रहती थीं, वहीं अब स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, महिला एवं बाल विकास, आंगनवाड़ी, पोषण और शिक्षा जैसे विषयों को अधिक महत्व मिलने लगा। यह देखा गया कि महिलाएँ स्थानीय समस्याओं को बेहतर ढंग से समझती हैं और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं को अधिक संवेदनशीलता के साथ लागू करती हैं।

शिक्षा और जागरूकता का प्रभाव

73वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार का एक महत्वपूर्ण कारण शिक्षा और जागरूकता में वृद्धि भी है। सरकार और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा महिला जनप्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, नेतृत्व विकास कार्यशालाएँ और कानूनी जागरूकता अभियान चलाए गए। इससे महिलाओं में आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता विकसित हुई। स्वयं सहायता समूहों ने भी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर पंचायतों में उनकी भूमिका को मजबूत किया।

चुनौतियाँ और समस्याएँ

हालाँकि महिलाओं को संवैधानिक अधिकार मिले, फिर भी व्यवहारिक स्तर पर कई चुनौतियाँ बनी रहीं। सबसे बड़ी समस्या 'सरपंच पति' की रही, जहाँ निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के स्थान पर उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य वास्तविक सत्ता का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त अशिक्षा, सामाजिक रूढ़ियाँ, पितृसत्तात्मक सोच, आर्थिक निर्भरता और प्रशासनिक अनुभव की कमी भी महिलाओं की प्रभावी भूमिका में बाधक बनी।

कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ आज भी खुलकर बोलने या स्वतंत्र निर्णय लेने में संकोच करती हैं। कभी–कभी उन्हें पंचायत बैठकों में गंभीरता से नहीं लिया जाता। इसके साथ ही संसाधनों और जानकारी के अभाव में वे योजनाओं का पूर्ण लाभ उठाने में असमर्थ रहती हैं।

सकारात्मक उदाहरण और परिवर्तन

इन चुनौतियों के बावजूद देश के विभिन्न हिस्सों से कई प्रेरणादायक उदाहरण सामने आए हैं, जहाँ महिला सरपंचों और पंचायत सदस्यों ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। कहीं महिलाओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया, तो कहीं स्वच्छता अभियान को सफल बनाया। ऐसे उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि यदि महिलाओं को उचित अवसर, प्रशिक्षण और समर्थन मिले, तो वे प्रभावी और सशक्त नेतृत्व प्रदान कर सकती हैं।

50 प्रतिशत आरक्षण का प्रभाव

कई राज्यों द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू करना एक ऐतिहासिक कदम रहा है। इससे न केवल महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई, बल्कि नेतृत्व की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिला। यह व्यवस्था महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को स्थायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

73वाँ संविधान संशोधन महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का आधार है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और महिलाओं को वास्तविक अधिकार दिए जाएँ, तो पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत में लोकतंत्र, समानता और समावेशी विकास को मजबूत करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

Conclusion : पंचायती राज व्यवस्था में 73वें संविधान संशोधन ने भारतीय लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने के साथ–साथ महिलाओं की स्थिति में ऐतिहासिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। इस संशोधन ने महिलाओं को पहली बार संवैधानिक रूप से स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रदान किया, जिससे वे केवल लाभार्थी न रहकर नीति–निर्माता और निर्णयकर्ता के रूप में उभरीं। महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण और कई राज्यों में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था ने ग्रामीण भारत में उनकी राजनीतिक भागीदारी को व्यापक और स्थायी बनाया। इस संशोधन के बाद महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला। पंचायतों में सक्रिय भागीदारी के कारण महिलाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक चेतना का विकास हुआ। वे अब ग्राम सभाओं में अपनी बात रखने लगीं और स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल, महिला एवं बाल कल्याण जैसे मुद्दों को विकास के केंद्र में लाने में सफल रहीं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि महिलाओं की सहभागिता ने पंचायतों की कार्यशैली को अधिक संवेदनशील, समावेशी और जनोन्मुखी बनाया। हालाँकि, यह भी सत्य है कि महिलाओं का सशक्तिकरण अभी पूर्ण रूप से हासिल नहीं हुआ है। कई स्थानों पर पितृसत्तात्मक मानसिकता, अशिक्षा, सामाजिक रूढ़ियाँ और आर्थिक निर्भरता आज भी महिला प्रतिनिधियों की प्रभावी भूमिका में बाधक बनी हुई हैं। 'सरपंच पति' जैसी प्रवृत्तियाँ यह दर्शाती हैं कि संवैधानिक अधिकारों के बावजूद व्यवहारिक स्तर पर महिलाओं को वास्तविक सत्ता से वंचित रखने के प्रयास होते रहे हैं। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण, प्रशासनिक अनुभव और सूचना की कमी भी उनकी निर्णय–क्षमता को सीमित करती है। फिर भी, इन चुनौतियों के बावजूद 73वाँ संविधान संशोधन महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करता है। समय के साथ–साथ शिक्षा, जागरूकता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, स्वयं सहायता समूहों और सरकारी एवं गैर–सरकारी पहलों के माध्यम से महिला प्रतिनिधियों की भूमिका निरंतर सुदृढ़ होती जा रही है। अनेक सफल महिला सरपंचों और पंचायत सदस्यों के उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि यदि महिलाओं को उचित अवसर और समर्थन मिले, तो वे कुशल, ईमानदार और प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर सकती हैं।

Refrences :

1. भारत का संविधान, 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992।

2. अग्रवाल, बीनाः महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

3. दत्त, रमेशः भारतीय ग्रामीण शासन और पंचायती राज व्यवस्था, नई दिल्ली, प्रकाशन विभाग।

4. सरकार, भारतः पंचायती राज संस्थाएँ रू दिशा–निर्देश और प्रगति रिपोर्ट, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।

5. जैन, मदन मोहनः भारतीय राजनीति में महिला भागीदारी, जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स।

6. राष्ट्रीय महिला आयोगः स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भूमिका, नई दिल्ली।

7.योजना आयोग (अब नीति आयोग): महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास, भारत सरकार।

8. कुमार, अरविंदः पंचायती राज और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, नई दिल्ली, के.के. पब्लिकेशन्स।

9. चौधरी, सीमा देवीः ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व के आयाम, पटना, जनसंस्कृति प्रकाशन।